रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 347] दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 13, 2019/अग्रहायण 22, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 322

No. 347] DELHI, FRIDAY, DECEMBER 13, 2019/AGRAHAYANA 22, 1941 [N.C.T.D. No. 322

भाग—IV

PART—IV

## राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

## GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

### वित्त (राजस्व–1) विभाग

### अधिसूचना

दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

**सं. 54/2018–राज्य कर**

**सं. फा. 3(32)/वित्त(राजस्व–1)/2019–20/डी.एस.VI/611.—**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवा कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2018 है।

   (2) ये 09 अक्टूबर, 2018 से प्रवृत्त समझे जाएंगे।

2. दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 89 के उपनियम (4ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

   "(4ख) जहां कर का संदाय किए बिना शून्य दर प्रदायों के मद्दे उपभोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्ति ने –

   (क) ऐसे प्रदाय प्राप्त किए हैं, जिस पर प्रदायकर्ता ने दिल्ली सरकार के वित्त विभाग की, दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग–IV, में सं. फा.3(57)/वित्त(राजस्व–1)/2017–18/डी.एस.VI/763, तारीख 27 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 40/2017–राज्य कर (दर), तारीख 27 नवम्बर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1321(अ), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 41/2017–एकीकृत कर (दर), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 के फायदे का उपभोग किया है ; या

   (ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1272(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 78/2017–सीमा शुल्क, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण,

भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1299(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 79/2017–सीमा शुल्क, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 के या उन सभी के फायदे का उपभोग किया,

वहां ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का, जिसका माल के निर्यात के लिए उक्त अधिसूचनाओं के अधीन इनपुटों के संबंध में उपभोग किया गया है और ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का, जिसका अन्य इनपुटों या माल के ऐसे निर्यात में प्रयुक्त विस्तार तक इनपुट सेवाओं के संबंध में उपभोग किया गया है, प्रतिदाय दिया जाएगा।''।

3. उक्त नियमों के नियम 96 के उपनियम (10) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

''(10) माल या सेवाओं के निर्यात पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय कर दावा करने वाले व्यक्तियों को–

(क) ऐसे प्रदाय प्राप्त नहीं करने चाहिए, जिन पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त विभाग की, दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, में सं. फा.3(42)/वित्त(राजस्व–1)/2017–18/डी.एस. VI/746, तारीख 23 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 48/2017–राज्य कर, तारीख 23 नवम्बर, 2017 का सिवाय उसके, जहां तक उनका संबंध ऐसे व्यक्ति द्वारा निर्यात संवर्धन पूंजी माल स्कीम या दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, में सं. फा.3(57)/वित्त(राजस्व–1)/2017–18/डी.एस. VI/763, तारीख 27 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 40/2017–राज्य कर (दर), तारीख 27 नवम्बर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1321(अ), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 41/2017–एकीकृत कर (दर), तारीख 23 अक्टूबर, 2017 के संबंध में पूंजी माल प्राप्त करने से है, फायदे का उपभोग किया गया है; या

(ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1272(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 78/2017–सीमा शुल्क, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 1299(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 79/2017–सीमा शुल्क, तारीख 13 अक्टूबर, 2017 के अधीन फायदे का उपभोग, सिवाय उसके जहां तक उसका संबंध निर्यात संवर्धन पूंजी माल स्कीम के संबंध में ऐसे व्यक्ति द्वारा पूंजी माल को प्राप्त करने से है, नहीं करना चाहिए।''।

4. यह अधिसूचना 09 अक्टूबर, 2018 से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप सचिव–VI (वित्त)

**टिप्पण** : मूल नियम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, में अधिसूचना तारीख 22 जून, 2017 द्वारा जो सं. फा. 3(10)/वित्त(राजस्व–1)/2017–18/डी.एस.VI/342, तारीख 22 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, प्रकाशित किए गए थे और सं. फा.3(47)/वित्त(राजस्व–1)/2019–20/डी.एस.VI/610, तारीख 12 दिसम्बर, 2019 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 53/2018–राज्य कर, तारीख 12 दिसम्बर, 2019 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

## FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT

## NOTIFICATION

Delhi, the 12th December, 2019

**No. 54/2018–State Tax**

**No. F. 3(32)/Fin.(Rev-I)/2019-20/DS-VI/611.—**In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules further to amend the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

1. (1) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (Twelfth Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force from the 9th day of October, 2018.

2. In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules) in rule 89, for sub-rule (4B), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(4B) Where the person claiming refund of unutilised input tax credit on account of zero rated supplies without payment of tax has –

(a) received supplies on which the supplier has availed the benefit of the Government of National Capital Territory of Delhi, Finance (Revenue-I) Department, Notification No. 40/2017-State Tax (Rate), dated the 27th November, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV,

*vide* number F. 3(57)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/763, dated the 27th November, 2017 or notification No. 41/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 23rd October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 1321(E), dated the 23rd October, 2017; or

(b) availed the benefit of notification No. 78/2017-Customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1272(E), dated the 13th October, 2017 or notification No. 79/2017-Customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1299(E), dated the 13th October, 2017,

the refund of input tax credit, availed in respect of inputs received under the said notifications for export of goods and the input tax credit availed in respect of other inputs or input services to the extent used in making such export of goods, shall be granted.".

3. In the said rules, in rule 96, for sub-rule (10), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(10) The persons claiming refund of integrated tax paid on exports of goods or services should not have -

(a) received supplies on which the benefit of the Government of National Capital Territory of Delhi, Finance (Revenue-I) Department, Notification No. 48/2017-State Tax, dated the 23rd November, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* number F. 3(42)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/746, dated the 23rd November, 2017 except so far it relates to receipt of capital goods by such person against Export Promotion Capital Goods Scheme or notification No. 40/2017-State Tax (Rate), dated the 27th November, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* number F. 3(57)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/763, dated the 27th November, 2017 or notification No. 41/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 23rd October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1321(E), dated the 23rd October, 2017 has been availed; or

(b) availed the benefit under notification No. 78/2017-Customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1272(E), dated the 13th October, 2017 or notification No. 79/2017-Customs, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1299 (E), dated the 13th October, 2017 except so far it relates to receipt of capital goods by such person against Export Promotion Capital Goods Scheme.".

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy.-VI (Finance)

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* notification dated the 22nd June, 2017, published *vide* number F. 3(10)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/342, dated the 22nd June, 2017 and last amended *vide* notification No. 53/2018-State Tax, dated the 12th December, 2019, in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, published *vide* number F. 3(47)/Fin(Rev-I)/2019-20/DS-VI/610 dated the 12th December, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.